Remove Watermark Now

न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : असलम मेहर आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 281/2018

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1– सुशीला खेतानी पत्नी मनमोहन खेतानी जाति खटीक, निवासी 159, धर्मनारायणजी का हत्था पावटा, जोधपुर		सरकार जरिये तहसीलदार ओसियां जिला जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 30–5–2018 जो न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ओसियां द्वारा पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री भूपत सिह जोधा अधिवक्ता अपीलांट की ओर से।
2– राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 31–12–2019

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थियां ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ओसियां के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का इस आशय का पेश किया कि प्रार्थियां की खरीदसुदा, कब्जा काश्त व खातेदारी की भूमि खेत खसरा नंबर 151/1 रकबा 29 बीघा 07 बिस्वा मौजा ग्राम गोपासरियां तहसील ओसियां की सरहद मे आई हुई है । उक्त भूमि नक्शे मे लिपिकीय त्रुटि से खसरा नंबर 151/1 के स्थान पर खसरा नंबर 151/2 टंकित हो गया । उक्त नक्शे मे जहां खसरा नंबर 151/1 दर्शाया गया है वहां पर प्रार्थियां का कोई कब्जा नही है न ही प्रार्थियां के नाम जमाबंदी मे उल्लेखित रकबे से मेल खाता है । नक्शे मे जिस स्थान पर खसरा नंबर 151/2 का उल्लेख किया है उसी भूमि पर अपीलार्थियां का खरीद की तारीख से बतौर खातेदार कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा उक्त भूमि पर अपीलार्थियां की रहवासीय ढाणियां व नलकूप खुदा हुआ है । इसलिए न्याय हित मे नक्शे मे प्रार्थियां के कब्जे काश्त के अनुसार सही खसरा नंबर टंकित करते हुए दुरस्ती जाने का निवेदन किया । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थियां द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र को अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30–5–2018 के द्वारा खारीज कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने वर्तमान अपील पेश की है, जो दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया ।

वकील अपीलांट एवं राजकीय अधिवक्ता उपस्थित । उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई । वकील अपीलांट ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलांट ने यह साबित कर दिया था कि उसका कब्जा वर्तमान मे खसरा नंबर 151/1 वाले स्थान पर है तथा अधीनस्थ न्यायालय मे यह भी साबित कर दिया कि राजस्व नक्शा मे लिपिकीय त्रुटि से सेटलमेंट खसरा नंबर 151/1

pdfelement

Remove Watermark Now

के स्थान पर 151/2 टंकित हो गया है जो केवल मात्र कर्मचारियो की भूलवश हुआ है जो कि मौका रिपोर्ट से साबित है तथा यह भी साबित कर दिया कि वर्तमान नक्शे मे जहां पर खसरा नंबर 151/1 दर्शाया गया है वहा पर न तो अपीलांटगण का कोई कब्जा है और न ही जमाबंदी मे उल्लेखित रकबे से मेल खाता है परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तमाम तथ्यो पर गौर किये बिना ही अपीलार्थियां का प्रार्थना पत्र खारीज करने मे विधिक भूल की है, जो निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे कथन किया कि खसरा नंबर 151/1 एवं 151/2 की तरमीम जो कि सेटलमेंट के नक्शे अनुसार की हुई है, उसी स्थान पर वर्तमान खसरा नंबर 151/1 व 151/2 होना चाहिये । परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर किये बिना जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

अंत मे वकील अपीलांट ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30–5–2018 को निरस्त कर अपीलार्थियां के मौके पर कब्जा काश्त अनुसार राजस्व रेकर्ड दुरस्ती का आदेश पारित करने का निवेदन किया ।

उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थियां द्वारा प्रस्तुत किये गये रेकर्ड दुरस्ती के प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार से मौका स्थिति रिपोर्ट तलब कर उक्त रिपोर्ट का अध्ययन करने तथा राजस्व रेकर्ड आदि का अवलोकन कर जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जिसमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही होने से अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात तथा अपीलाधीन निर्णय का भी अवलोकन एवं अध्ययन किया । अपीलार्थियां ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का इस आशय का प्रस्तुत किया कि उसकी खातेदारी की खरीदसुदा एवं कब्जासुद भूमि जिस पर उसकी रहवासीय ढाणियां एवं नलकूप बने हुए है उसके खसरा नंबर 151/1 है परंतु नक्शे मे त्रुंटिवशः खसरा नंबर 151/2 दर्शा दिया गया है जिसे दुरस्त कर अपीलांट के कब्जे अनुसार नक्शे मे तरमीम दुरस्त करने का निवेदन किया जाने पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संबंध मे तहसीलदार से मौका जांच रिपोर्ट मगवाई गई, जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध है ।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात जिसमे पटवारी हल्का मण्डियाई कला द्वारा सम्पन्न मौके की जांच रिपोर्ट, वक्त सेटलमेंट नक्शा प्रति, नक्शा लट्ठा ट्रेस एवं जमाबंदी आदि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा उसके परिपेक्ष्य मे अपीलार्थियां द्वारा प्रार्थना पत्र मे चाही गई इस्तदुआ पर भी गौर किया । तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत जवाब के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, उसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही होना पाया जाता है ।

pdfelement

Remove Watermark Now

परिणाम स्वरूप अपीलार्थियां द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन होने से खारीज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ओसियां द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30–5–2018 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 31–12–2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(असलम मेहर)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

pdfelement

Signature Not Verified
Digitally signed by Aslam Mehar
Date: 2020.01.14 13:38:54 IST
Reason: SelfAttested
Location: